

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 28)

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021

ज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

पहलाड

बनाम

शान्ति लाल

हस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 314 / 2021

परीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

16/11/2021

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती पहलाड - कलागचन्द - शंकरलाल

पिता श्री अधरा भुवाघा

निवासी- माता जी वी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

माता जी वी ओरडी स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 134, 135, 140, 146, 511, 513

कुल कीता 6 कुल रकबा 1.8300 हे० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम माता जी वी ओरडी स्थित खातेदारी की मूमि आराजी नम्बर 134, 135, 140, 146, 511, 513

कुल कीता 6 रकबा 1.8300 हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500.00 रूपये अक्षरे एक हजार पंच सौ रुपए प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम सुन्दर विजनाइ)
महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

